

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13 / स्था0-01-04 / 2026 /

पटना, दिनांक -

जल संसाधन विभाग, पटना के निम्नलिखित कनीय अभियंता (असैनिक) को निलम्बन मुक्ति उपरांत विभाग में योगदान की तिथि से पदस्थापन में प्रतीक्षारत अवधि (जो उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित है) को बिहार सेवा संहिता के नियम-14 (ख) एवं वित्त विभागीय परिपत्र सं0-10128 (वि0) (2) दिनांक 26.12.2003 के तहत विनियमित की जाती है :-

क्र0 सं0	कनीय अभियंता का नाम / आई0डी0संख्या	वर्तमान पदस्थापन	विनियमन की अवधि (पदस्थापन की प्रतीक्षा में व्यतीत अवधि)
1	2	3	4
1	श्री अरविन्द कुमार यादव / जे0 10005	कनीय अभियंता, घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल।	दिनांक 31.10.2025 से 15.01.2026 तक (कुल-77 दिन)

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(मनीष आनंद)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी के पत्रांक-794 दिनांक 24.02.2026 के क्रम में/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, रक्सौल/कार्यपालक अभियंता, घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल/ श्री अरविन्द कुमार यादव, कनीय अभियंता (जे0 10005), घोड़ासहन नहर प्रमंडल, रक्सौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

2858

पटना/दिनांक - 24/05/26

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

MAS 26/05/26  
अवर सचिव (प्रबंधन)।